

Order Sheet [Contd]

Case No 218/2017 बी.ए

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
24.06.2017	<p>आवेदक/अभियुक्त निशार खों की ओर से श्री के.पी.राठौर अधिवक्ता। राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक। आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा0फौ0 के संबंध में उभय पक्ष को सुना गया। आवेदक/अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता श्री के0पी0राठौर ने प्रथम नियमित जमानत आवेदनपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक स्योडा जिला दतिया का निवासी है उसके द्वारा किसी प्रकार कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक दिनांक 26.02.17 से अभिरक्षा में है। प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण होकर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। आवेदक जमानत की समस्त शर्तों का पालन करेगा एवं प्रत्येक पेशी पर उपस्थित रहेगा। अतः आवेदक को उचित जमानत मुचलके पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।</p> <p>राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है।</p> <p>उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। केश डायरी का अवलोकन किया गया। आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्कों पर अत्यधिक बल दिया है कि आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध प्रत्यक्ष कोई साक्ष्य नहीं है और आवेदक को प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। अतः उसे प्रतिभूति पर मुक्त किये जाने की प्रार्थना की है।</p> <p>प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त पर प्रकरण के सहआरोपीगण के साथ मिलकर मृत्तिका लाली की योजना बनाकर योजना के अग्रसरण में मारुती क्रमांक एम.पी. 32 सी. 1681 से जानबूझकर कुचलकर हत्या करने का आरोप है। साथ ही प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त पर घटना के समय उक्त अभिकथित मारुती को चलाने का भी आरोप है।</p> <p>प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त पर गंभीर आरोप लगाया गया है। अपराध की गंभीरता एवं उपलब्ध रिकार्ड को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।</p> <p>परिणामतः आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र स्वीकार योग्य न होने से निरस्त किया जाता है।</p> <p>आदेश की सत्यप्रतिलिपि संचालित प्रकरण क्रमांक 120/17 एस.टी. में संलग्न की जावे।</p> <p>प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।</p> <p style="text-align: right;">(वीरेन्द्र सिंह राजपूत) अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला- भिण्ड म0प्र0</p>	